न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 31/2019

1 श्योचन्द पुत्र कुरड़ाराम।
1/1 बुंटीराम पुत्र श्योचन्द।
1/2 शिशराम पुत्र श्योचन्द।
1/3 महेन्द्र पुत्र श्योचन्द।
2 नौरंग पुत्र कुरड़ाराम।
2/1 शिशराम पुत्र नौरंग।
2/2 दलिप पुत्र नौरंग।
2/3 रणवीर पुत्र नौरंग।
2/4 श्रवणी देवी स्त्री नौरंग।
3 रामजीलाल उर्फ जगमाल पुत्र कुरड़ाराम।
3/1 श्रीमती चन्द्रकला पत्नी रामजीलाल उर्फ जगमाल।
3/2 हरिसिंह पुत्र रामजीलाल उर्फ जगमाल।
3/3 कुलदीप पुत्र रामजीलाल उर्फ जगमाल।
3/4 ओमवीर पुत्र रामजीलाल उर्फ जगमाल।
4 देवकरण पुत्र कुरड़ाराम।
5 रामनाथ पुत्र गणेशाराम।
6 विधाधर पुत्र रामनाथ।
7 बलवीर पुत्र रामनाथ समस्त जाति जाट निवासीगण खाजपुर पुराना तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सरदार सिंह पुत्र कुरड़ाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

2 मनोहरी पुत्री कुरड़ाराम।

3 अनार पत्री कुरडाराम समस्त जाति जाट निवासीगण खाजपुर पुराना तहसील व जिला झुंझुनू।

4 सन्तोष पुत्री नौरंगराम पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी मोई ताल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

5 राजबाला पुत्री रामजीलाल उर्फ जगमाल पत्नी विजेन्द्र सिंह।

6 सुशीला उर्फ मुनी पुत्री रामजीलाल उर्फ जगमाल पत्नी देवेन्द्र सिह समस्त जाति जाट निवासीगण तोला सेही तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

7 परमेश्वरी पुत्री रामनाथ पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी बड़सरी का बास तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

8 सुमित्रा पुत्री रामनाथ पत्नी धर्मपाल।

9 पुष्पा पुत्री रामनाथ पत्नी विनोद समस्त जाति जाट निवासीगण मानोता तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झुंझुनू जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व मुकदमा उनवानी श्योचन्द वगैरह बनाम मनोहरी वगैरह दावा बाबत इस्तकरार हक व बंटवारा मुकदमा नम्बर (113/2012) 64/2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू तारिख फैसला व डिक्री दिनांक 25.04.2018।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

उपस्थिति :

1. श्री रोहिताश कुमार, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवनारायण, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—9.11.22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर (113/2012) 64/2018 में पारित निर्णय दिनांक 25.04.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 205/3,144/1,145/1,147/2,148/2, 205/1,205/2 वाके ग्राम खाजपुर के सन्दर्भ में घोषणा व विभाजन का दावा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.06.2016 को वादी अपीलांट का वाद अदम हाजरी में खारिज कर दिया। इसके उपरान्त दिनांक 14.03.2018 को वाद वादी पुन नम्बर पर लिया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 25.04.2018 को प्रति दावा स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर वादी की ओर से यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी का वाद अदम हाजरी में खारिज होने के उपरान्त प्रतिवादी का काउन्टर दावा पुन नम्बर पर लेने से पूर्व अपीलांट को सुना नही गया था। अपीलांट को बिना सुने, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का यह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है। अपीलांट को इस निर्णय की जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन कर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पक्षकारो के मध्य गत 40–45 वर्षो से बाहमी विभाजन हो रखा है। सभी पक्षकार अपने हिस्से के अनुसार मकान बनाकर आबाद है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा दिनांक 16.12.2013 को काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट को काउन्टर क्लेम की नकल दी गई थी। अपीलांट ने 2016 तक इसका कोई प्रत्युतर प्रस्तुत नही किया था। 2016 में अपीलांट ने जानबुझकर प्रतिवादी संख्या 04 की जानकारी के बिना दावा अदम हाजरी में खारिज करवा लिया। प्रतिवादी संख्या 04 को जानकारी होने पर आवेदन प्रस्तुत कर काउन्टर क्लेम को पुन नम्बर पर लिया गया। अपीलांट ने जानकारी बुझकर नोटिस प्राप्त नही किये। अपीलांट की तामील आदेश 5 नियम 20 की पालना में विधि अनुसार रजिस्टर्ड डाक एवं अखबार से करवाई गई है। अपीलांट को प्रारम्भ से इस निर्णय की जानकारी रही है। अपीलांट ने 10–11 माह के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है। विलम्ब का समुचित कारण अंकित नही किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डब्ल्यू.एल.सी. 1992 (2) पेज 273, ए.आई.आर. 1998 एस.सी. पेज 2276, ए.आई.आर. 1999 राज. पेज 216 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी का वाद अदम हाजरी में खारिज होने के उपरान्त प्रतिवादी का काउन्टर दावा पुन नम्बर पर लेने से पूर्व अपीलांट को सुना नही गया था। अपीलांट को नोटिस जारी किये बिना, बिना सुने, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अपीलांट को इस निर्णय की जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रतिदावा के सन्दर्भ में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.12.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 9/12 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर